Ier of transfer in CRPF has been received. However two complaints, one relating to alleged demand of bribe from the candidates by the Recruiting Officer and the other relating to irregularities in the written tests and physical tests in recruitment in the Group Centre. CRPF. P'allipnram, Trivandrum have been received. These complaints are being enquired into departmentally.

(b) No, Sir.

Formation of separate hill State in U.P.

1014. SHRI SHANTI TYAGI:

SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased, to state:

(a) whether it is a fact that the U.P. Government has recommended to the Central Government for the formation of a separate hill State in U.P.;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what action Government hove taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) to (c) The Government of Uttar Pradesh have forwarded a Resolution passed by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on 12-8-1991 urging the Central Government to create a separate State of "Uttaranchal" comprising the eight hill' districts of Kumaon-Garhwal Divisions of Uttar Pradesh, viz. Nainital, Almora, Pithoragarh, Pauri Garhwal, Chamoli, Tehri Gasrhwal, Uttarkashi and Dehradun. Certain details of the proposal have been sought from the Government of Uttar Pradesh.

Posting on Medical Growds in C.R.P.F.

1015. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that officers in C.R.P.F. are allowed to remain posted at one place for several years on medical grounds even for a decade;

(b) if so, the names of the officers of the rank of Astt. Commandant, II-IC (two I-C), Commandant of C.R.P.F. who remained posted at Delhi for more than three years and the details of the medical treatment for which they have been allowed to rmain posted at the same place:

(c) whether Government propose to refer all such cases to a medical board consisting of eminent doctors; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB), (a) In CRPF, the Officers are allowed to remain posted at one place for more than the normal tenure of 3 years on medical grounds. But no Officer has been allowed to remain at one place for 10 years.

(b) Only one* officer, Shri D. C. Pathak, 2-I/C has been posted at Delhi for more than 3 years on medical grounds. He is a heart patiant. He is posted in Delhi since 5th July, 1988.

(c) Shri Pathak's ailment does not interfere in the efficient discharge of his duties. Therefore, his case is not requr-ed to be referred to a Medical Board under the Rules.

(d) Does not arise.

दिल्ली में चोरियां और डकैतियां

4016. श्री अनन्तराम जायसवाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार के शासन काल के दौरान दिल्ली में 15 फरवरी, 1992 तक चोरी, घर में घुस कर डकैती (धारा 396 के अंतर्गत आने वाले मामलों सहित) तथा राहजनी की अलग-अलग थानावार घटनाओं की संख्या कितनी है तथा पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान इनकी संख्या कितनी थी ; और

(ख) इन घटनाओं में अंतग्रस्त वस्तुओं का अलग-अलग ब्यौरा क्या है तथा पुलिस ने अब तक इनमें से कितनी वस्तुएं बरामद की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में अपराध

1017. श्री अनन्तराम जायसवाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार के शासन काल के दौरान दिल्ली में 15 फरवरी, 1992 तक भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 308, 363 और 366 के अधीन पंजीकृत मामलों की अलग-अलग थानावार संख्या क्या है तथा पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान इनकी संख्या कितनी थी : और

(ख) प्रत्येक मामले में पकड़े गए अपराधियों की संख्या क्या है और अभी कितने अपराधी पकड़े जाने शेष हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । [देखिए परिशिष्ट 162, अनुपत्र संख्या 29]

दहेज के कारण मौतें

1018. श्री अनन्तराम जायसवाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार के शासन काल के दौरान 15 फरवरी, 1992 तक दहेज के कारण हुई मौतों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान दहेज के कारण हुई मौतों की संख्या क्या थी, और

(ग) सरकार ने दहेज के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिये क्या उपाय किये हैं तथा इस संबंध में और कौन-कौन से उपाय सरकार के विचाराधीन हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) वर्ष 1991 के उत्तरार्ध और वर्ष 1992 को इसी अवधि के दौरान दहेज के कारण सूचित हुई मौतों के राज्य-वार ब्यौरों के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

(ग) दहेज के कारण हुई मौतों के अपराध सहित, अपराधों को दर्ज करना, उसकी जांच पड़ताल करना, तथा अपराध की रोकथाम करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की है। तथापि, ऐसे अपराधों की रोकथाम करने के लिए भारत सरकार ने कई उपाय किए हैं। दहेज निषध अधिनियम, 1961 को वर्ष 1984 और 1986 में कानून को अधिक कड़ा बनाने के उद्देश्य से संशोधित किया गया था। इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1782 में, दहेज के कारण होने वाली मौतों के मामलों से कड़ाई से निपटने के लिए संशोधन किया गया था।

सरकार द्वारा तथा कई महिला स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरुक बनाने के ध्येय से कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। दहेज की सामाजिक बुराईयों के खिलाफ इलैक्ट्रानिक मीडिया के कार्यक्रमों द्वारा प्रचार करके जनसंचार अभियानों का आयोजन भी किया जा रहा है।

राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को महिलाओं पर होने वाले अपराधों से संबंधित विधायन को प्रभावकारी ढंग से लागू करने के अनुदेश जारी किए गए हैं जिनमें दहेज के कारण होने वाली मौतों से संबंधित अपराध भी शामिल है।